

Kku rRo&216

: kSu 'kks'k.k] ?kkrd 'kCn ds ?kkrd i fj.kke

बिहार के पूर्णिया जिले के विधायक राजकुमार केशरी की उनके ही निवास पर उनकी ही सुपरिचित महिला मित्र रूपम् पाठक ने धोखा देकर हत्या कर दी। प्रकरण राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। हत्या के पक्ष और विपक्ष में गोलबन्दी शुरू हो गई भावनाओं को उभार कर यथार्थ को पीछे करने के राष्ट्रव्यापी प्रयत्न शुरू हुए। मामले में तथाकथित चरित्रवान महिलाएँ भी कूद पड़ी। महिला पुरुष वर्ग भेद भड़काने का अच्छा अवसर था। मामला राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का भी था। विरोधी राजनेताओं ने भी अच्छा अवसर मानकर अपनी अपनी औरतों को ही आगे कर दिया। आजकल राजनीति में कई प्रकार के विंग हमेशा खा पीकर तैयार रखे जाते हैं। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जावे। इस प्रकरण को राजनैतिक प्रयत्नों ने जिला और पुरुष में बांटना शुरू कर दिया।

घटना इस तरह बताई जाती है कि पूर्णिया के विधायक राजकुमार केशरी का किसी महिला रूपम् पाठक से अवैध संबंध था। विधायक केशरी अपनी अतिरिक्त यौन तृप्ति के लिये रूपम् का उपयोग करते थे बदले में रूपम् को अतिरिक्त लाभ स्वाभाविक ही था। रूपम् की लाभ की इच्छाएँ बढ़ने लगी और राजकुमार की यौन आवश्यकताएँ घटने लगीं तो समझौते में दरार आनी शुरू हुई। रूपम् ने थाने में रिपोर्ट कर दी। राजकुमार ने दबकर रूपम् को फिर पटा लिया। रूपम् ने अपना बयान बदल दिया और राजकुमार कानून से मुक्त हो गये। राजकुमार की अतिरिक्त यौन आवश्यकता पूर्ति के लिये हो सकता है कि रूपम् की लड़की आगे आई हो या उसे फुसलाया गया हो। धीरे धीरे अन्य बातें स्पष्ट होंगी। अथवा यह भी संभव है कि किसी राजकुमार विरोधी ने रूपम् को हथियार बनाया हो। कुछ भी हो सकता है किन्तु एक बात सच है कि रूपम् किसी भी रूप में भावना प्रधान नहीं हो सकती। रूपम् का अति महत्वाकांक्षी होना और राजकुमार के साथ व्यापारिक मोल भाव करना स्वयं सिद्ध है और रूपम् अपना माल कहीं और नहीं बेच सकती ऐसी कोई रोक नहीं थी। ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी कि रूपम् के लिये खरीददारों का अभाव रहा होगा विशेष कर तब जब उसका महत्व विधायक निवास ने बढ़ा रखा हो। यह भी संभव है कि वह किसी अन्य के हाथों खेल गई हो और उसने अपने महिला शरीर से भी अधिक कोई बड़ा सौदा कर लिया हो। कुछ भी हो सकता है जिसकी छानबीन मेरा विषय नहीं। किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा यह खोजबीन न्यायालय और पुलिस का विषय हैं। मेरी चिन्ता का विषय तो मात्र इतना ही है कि इस घटना को आधार बनाकर अराजक तत्व समाज में भ्रम फैलाने में सफल न हो जावें।

इस घटना में तीन मुद्दे विचारणीय है (1) यौन शोषण (2) हिंसा के प्रति समर्थन (3) महिला पुरुष वर्ग विद्वेष विस्तार के प्रयत्न। पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार का शोषण कोई अपराध नहीं होता क्योंकि शोषण में न कहीं बल प्रयोग होता है न जालसाजी धोखाधड़ी। शोषण किसी की मजबूरी से लाभ उठाने के प्रयत्न का नाम है जो असामाजिक तो हो सकता है किन्तु समाज विरोधी कार्य नहीं अथवा जो अनैतिक तो हो सकता है किन्तु अपराध नहीं। दुर्भाग्य वश हमारे अच्छे अच्छे लोग भी असामाजिक और समाजविरोधी या अनैतिक और अपराध या गैरकानूनी और अपराध का अन्तर नहीं समझ पाते और यह नासमझी ही उन्हें भी भ्रमित करती रहती है जिस भ्रम का दुष्प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है।

शोषण स्वयं में कोई अपराध नहीं होता। यौन शोषण तो कभी होता ही नहीं। बहुत विचार करने के बाद भी मुझे कभी इस शब्द का अर्थ प्रासंगिक नहीं दिखा। यौन तृप्ति द्विपक्षीय आवश्यकता है, एक पक्षीय नहीं। यौन तृप्ति पुरुष आवश्यकता के रूप में सिद्ध करना एक पक्षीय सोच है और घातक है। यह एक मात्र ऐसा कार्य होता है जिसमें दो विपरीत लिंग एक ही क्रिया से एक समान तृप्त होते हैं। ऐसी अन्य कोई क्रिया नहीं। जब किसी महिला को यौन तृप्ति के अतिरिक्त किसी विशेष लाभ की इच्छा हो ओर किसी पुरुष को किसी अन्य व्यय के स्थान पर विशेष यौन तृप्ति की इच्छा हो तथा दोनों के बीच सामाजिक नियम कानूनों को तोड़ते हुए सौदा प जावे तो उस सौदे को यौन शोषण कहने की एक गलत परंपरा सी चल पड़ी है। मेरी जानकारी अनुसार डा. राममनोहर लोहिया अकेले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने

बलात्कार के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री पुरुष संबंध को चर्चा योग्य भी मानने से इन्कार कर दिया। गांधी ने तो महिला उत्पीड़न जैसे अनर्गल शब्दों को हवा देकर और भी समस्याएँ पैदा कर दीं। वर्तमान परिस्थितियों में शोषण शब्द को ही बेमतलब की बात मान लिया जाना चाहिये, यौन शोषण तो वैसे भी अर्थहीन शब्द है।

हम दूसरा विचार करें हत्या जैसी क्रिया पर। हत्या एक क्रिया है जिसमें किसी अन्य के मूल अधिकारों पर हिंसक आक्रमण होता है। यह क्रिया अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में समाज के अन्दर न मान्य है न स्वीकृत। ऐसी हिंसा का उपयोग अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से समाज द्वारा बनाई गई एक विशेष सेल, जिसे शासन कहते हैं, के द्वारा ही एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति को तो ऐसी छूट अपवाद स्वरूप ही प्राप्त है। वे अपवाद भी तीन आवश्यक हैं (1) जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो (2) आपके समक्ष न्याय प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग उपलब्ध न हो (3) जब आप भावनाओं में न बह रहे हों। रूपम राजकुमार प्रकरण की स्थितियों पर विचार करें। रूपम् पर कोई बलात्कार नहीं हो रहा था। किसी सहमति और समझौते के अन्तर्गत एक पुरुष द्वारा यौन तृप्ति मात्र हो रही थी। न्यायप्राप्ति के अन्य मार्ग भी उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में साधारण बल प्रयोग की भी अनुमति नहीं हो सकती, हत्या का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं तो कोई एक भी आधार नहीं पाता जिसके माध्यम से हत्या की निन्दा न करूँ। समाज में हिंसा का वातावरण चिन्ताजनक स्तर तक बढ़ रहा है। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक हिंसा का विरोध होना ही चाहिये। मैं कोई गांधीवादी तो हूँ नहीं जो सरकारी हिंसा का विरोध करूँ और नक्सलवादी हिंसा का समर्थन। मैं कोई नाटक न करके साफ-साफ कहता हूँ कि सामाजिक हिंसा का किसी भी परिस्थिति में चाहे वह हिंसा किसी के द्वारा क्यों न की जाये आलोचना तो होनी ही चाहिये, यदि संभव हो तो विरोध भी। सरकारी हिंसा का मैं समर्थक हूँ जब तक विरोध करने का कोई स्पष्ट कारण न हो। मैं जरा भी नहीं सोच पा रहा कि रूपम पाठक द्वारा की गई हिंसा के समर्थन का आधार क्या है? यदि उसके सारे आरोप सच हों तब भी हिंसा का आधार कहाँ है। नागपुर की अदालत में महिलाओं ने मिलकर एक खूंखार अपराधी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी वह मामला बिल्कुल भिन्न था और यह भिन्न। उसमें बलात्कार था और इसमें समझौता। उसमें कानून बेबस हो गया था और इसमें कानून का सहारा लिया ही नहीं गया। उस हत्या में बहादुरी थी और इसमें धोखा। इसके बाद भी मैंने उस हत्या की समीक्षा की थी समर्थन नहीं। रूपम् का मामला तो समीक्षा योग्य भी नहीं। यह तो पूरी तरह या तो आलोचना योग्य है या विरोध योग्य।

तीसरा विचारणीय बिन्दु है महिलाओं का प्रदर्शन। इस मामले को महिला अत्याचार का रूप देने की कोशिश की गई। मुझे नहीं पता कि वे कौन महिलाएँ थीं। जिन्होंने ऐसा पक्ष लिया। यदि वे रूपम् की पारिवारिक या मित्र महिलाएँ थीं तो कोई खास बात नहीं। यदि वे विपक्षी दल की महिलाएँ थीं तब भी चिन्ता की बात नहीं। यदि वे रूपम् सरीखी महिलाएँ थीं तब भी कोई बात नहीं। किन्तु वे यदि सामाजिक महिलाएँ थीं तो अवश्य चिन्ता की बात हैं। यह मामला किसी भी रूप में महिला पुरुष वर्गभेद का मामला न होकर एक पुरुष और एक महिला के बीच का द्विपक्षीय विवाद है जिसे अनावश्यक वर्ग भेद का स्वरूप दिया जा रहा है। कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं किन्तु कई लोग अनजाने में मीडिया प्रचार के शिकार हो रहे हैं। हमारे मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित दैनिक नवभारत माना जाता है। नवभारत छ जनवरी ग्यारह के सम्पादकीय का विषय था "रसूखदारों के लिये सबक"। सम्पादक ने रूपम् के पक्ष में निष्कर्ष निकालते समय तथ्यों को छिपाने से भी परहेज नहीं किया। "सम्पादक ने लिखा कि कानून-व्यवस्था से विश्वास उठने के कारण ही शिक्षिका को यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है, इस घटना ने साबित कर दिया है कि प्रभावशाली नेताओं, अफसरों व पुलिस के प्रति जनता में जबर्दस्त आक्रोश है। घटना के बाद यद्यपि विधायक के अंगरक्षकों ने महिला को पकड़ लिया और समर्थकों ने पिटाई भी कर दी, गंभीर महिला का उपचार जारी है। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी इस घटना से स्तब्ध हैं तथा घटना की जाँचकर डीजीपी को शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। पीड़ित महिला ने पूर्णिया के खजौंची हाट थाने में 28 मई 2010 को विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस अनुसंधान में मामले को राजनीति प्रेरित बताते हुए कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी थी। महिला ने इसके खिलाफ "विरोध याचिका" भी पेश की थी। इस मामले में पुलिस की ढिलाई से साफ

है कि आज भी अंग्रेजों की तरह सत्तारूढ़ दल अपनी सत्ता और महत्ता बनाये रखने के लिए पुलिस को एक साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं।" सम्पादक को पता होना चाहिये कि रूपम् पाठक ने ही न्यायालय में अपना बयान बदलकर विधायक को निर्दोष घोषित किया। यह तथ्य ढका छुपा न होकर स्पष्ट है किन्तु सम्पादक महोदय ने, अपने निष्कर्ष प्रमाणित करने की जल्दी में शायद घटना का वह अंश छोड़ दिया। यदि सम्पादक जी ने जानबूझकर ऐसा नहीं भी किया तब भी उन्होंने जिस तरह संतुलित टिप्पणी न करके एक पक्षीय टिप्पणी की उससे संदेह तो होता ही है। मेरे विचार में महिला और पुरुष दो वर्ग न हैं न होने चाहिये। कानून की नजर में सबको समान होना चाहिये। महिला को विशेष अधिकार घोषित करना घातक परंपरा है क्योंकि न सभी महिलाएँ एक जैसी हैं न सभी पुरुष। व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण दोषों का आकलन उसको वर्ग घोषित होना चाहिये न कि वर्ग के अनुसार गुण दोष। वर्ग के अनुसार गुण दोष का निर्धारण करना घातक परंपरा है। इसके कारण अपराधी तत्वों को छिपने का आधार बन जाता है। महिला को एक वर्ग मानकर उसके गुण दोष घोषित करने की गलत परंपरा के कारण ही घूर्त महिलाएँ रूपम् पाठक मामले का लाभ उठाने के प्रयत्न में सक्रिय दिखी।

मेरा स्पष्ट मत है कि महिला सशक्तिकरण शब्द ही समाज तोड़क हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे की समान आवश्यकता और समान निर्भरता हैं। इसे अलग अलग मात्रा में बांटना घातक है। राजनेताओं को यह विभाजन सबसे अधिक लाभ देता है। शोषण एक दूसरा घातक शब्द है। यौन शोषण शब्द उसका सहायक है। सामाजिक हिंसा का समर्थन भी बहुत घातक है तथा सरकारी हिंसा का विरोध भी घातक है। वर्ग के आधार पर गुणों की अवधारणा तथा वर्गानुसार विशेष अधिकार देना भी घातक है। आज सम्पूर्ण समाज टूट नहीं रहा बल्कि तोड़ा जा रहा है। प्रचार माध्यम भी इस योजना में जाने अनजाने सहायक हो रहे हैं। बहुत सावधानी पूर्वक वर्ग विहीन हिंसा मुक्त समाज व्यवस्था को मजबूत करना चाहिये।

i kfdLrku dk bZ k fuInk dkuw vks Hkkj r ds eq yeku

पाकिस्तान में एक प्रदेश के गवर्नर की हत्या कर दी गई। हत्या उसी के सुरक्षा कर्मी ने की। अब तक प्रकाशित कारण गवर्नर द्वारा ईश निन्दा कानून के विरुद्ध विचार रखना है। गवर्नर ने हजरत मोहम्मद के विरुद्ध कुछ कहने का दुस्साहस नहीं किया था। उसने तो मात्र ऐसे कानून की समीक्षा करने की बात कही थी। मारने वाला पाकिस्तानी भले ही हो किन्तु मारते समय वह इस्लाम की सुरक्षा की भावनाओं से सराबोर था, पाकिस्तान की नहीं। प्रश्न उठता है कि क्या औसत इस्लाम वास्तव में वैसा ही अमानवीय है जैसा इस घटना से विदित होता है अथवा यह कोई अपवाद स्वरूप घटना है? क्या औसत इस्लाम का चरित्र ऐसा क्रूर नहीं ?

पिछले माह पाकिस्तान में एक प्रतिष्ठित बाल रोग डाक्टर फ़ैजानुद्दीन के क्लिनिक में मोहम्मद नौसाद नामक दवा विक्रेता अपना परिचय पत्र देता है जिसे डाक्टर देखकर विक्रेता को बिठाकर बात करता है और परिचय पत्र को नीचे डाल देता है। चूँकि उस व्यक्ति नौसाद के नाम के साथ मुहम्मद शब्द लिखा हुआ था इसलिये उस परिचय पत्र को सम्मान न देकर यूँ ही कचरे में गिरा देना मुहम्मद साहब का अपमान बताकर बेचारा डाक्टर गिरफ्तार होकर जेल चला गया। पाकिस्तान में ईश निन्दा कानून के अन्तर्गत उसकी गिरफ्तारी के लिये आंदोलन हुआ। डाक्टर भी मुसलमान ही था किन्तु वह इस्माइली फिरके का था। प्रश्न उठता है कि क्या औसत इस्लामिक चरित्र वैसा ही अत्याचारी है जो इस सीमा तक हास्यास्पद की सीमा तक जा सकता है अथवा वह कोई अपवाद स्वरूप घटना है? क्या औसत इस्लामिक चरित्र ऐसा नासमझ नहीं?

कुछ माह पूर्व ही पाकिस्तान में एक इसाई ने इस्लाम ग्रहण करने के कुछ दिनों बाद ही पुनः इसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उसे ईश निन्दा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ऐसे व्यक्ति की हत्या करने से मुसलमानों में सीधे स्वर्ग जाने की मान्यता है और न्यायालय द्वारा फांसी देने से कई लोग इस स्वर्ग से वंचित रह जाते, इसलिये सीधे स्वर्ग की दौड़ में कुछ लोगों ने उक्त इसाई की न्यायालय में घुसकर हत्या कर दी। क्या औसत इस्लामिक सोच इस सीमा तक का पागलपन है अथवा यह कोई अपवाद स्वरूप घटना है?

ये तीन प्रश्न मैं पाकिस्तान मात्र के मुसलमानों से नहीं कर रहा। मैं तो ये प्रश्न दुनिया भर के मुसलमानों से कर रहा हूँ विशेष कर भारतीय मुसलमानों से और उनमें भी विशेषकर अपने परिचितों से। क्या इस्लाम वैसा ही है जैसा आप हमारे समक्ष बताते हैं अथवा इस्लाम वैसा है जैसा आप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दूसरों के साथ करते हैं? मैंने दिल्ली की एक पत्रिका गौरव घोष में प्रकाशित लियोन यूरिस द्वारा लिखित और जीतेन्द्र नाथ जोशी द्वारा अनुवादित लेख पढ़ा जिसके अनुसार इस्लाम न कोई धर्म है न सम्प्रदाय। यह तो एक संगठन मात्र है जो मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें धर्मान्ध बना देता है और धर्म के नाम पर अपनी योजनानुसार कार्य करवाता है। इस्लामिक संगठन सिर्फ पाकिस्तान का मामला न होकर पूरी दुनिया का मामला है जिसकी गिरफ्त में दुनिया का मुसलमान बहुमत आ चुका है। इस योजना का प्रारूप और उसका सुनियोजित कार्यक्रम पूरी दुनिया में समान रूप से जारी है। कार्यक्रम के अनुसार जिन देशों में मुस्लिम जनसंख्या.....

1. **nks ifr'kr l s de** हो तो वहाँ का मुस्लिम समाज शांति प्रिय होता है। उससे अन्य समाजों को कोई खतरा नहीं होता।

यह स्थिति है:-

संयुक्त राज्य अमेरिका	मुस्लिम	0.6 प्रतिशत
आस्ट्रेलिया	मुस्लिम	1.5 प्रतिशत
कनाडा	मुस्लिम	1.9 प्रतिशत
चीन	मुस्लिम	1.8 प्रतिशत
इटली	मुस्लिम	1.5 प्रतिशत
नार्वे	मुस्लिम	1.8 प्रतिशत

2. **ed yeku 2 ifr'kr l s 5 ifr'kr%**

इतनी संख्या होने पर देश के मुसलमान अन्य अल्प समुदायों, किन्हीं कारणों से नाराज वर्गों, जेल के बंदियों तथा राह चलते गुंडों को इस्लाम में लाने का प्रयास कर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं जैसे-

डेनमार्क	मुस्लिम	2 प्रतिशत
जर्मनी	मुस्लिम	3.7 प्रतिशत
ब्रिटेन	मुस्लिम	2.7 प्रतिशत
स्पेन	मुस्लिम	4 प्रतिशत
थाइलैण्ड	मुस्लिम	4.6 प्रतिशत

3. **ed yeku 5 ifr'kr l s vf/kd%**

इतनी संख्या होने पर देश के मुसलमान अपनी संख्या के अनुपात से बढ़-चढ़ कर अपना प्रभाव जमाना प्रारम्भ करते हैं। उदाहरण: हलाल मीट की मांग (इस्लाम के अनुसार शुद्ध भोजन) इस प्रकार मुसलमानों को उनके अनुकूल हलाली मीट बनाने के लिये होटलों में मुसलमान बावर्ची (खाना बनाने वाले) रखने पड़ते हैं। सुपर मार्केट पर दबाव डाला जाता है कि वहाँ मुस्लिम अनुकूल हलाल बेचा जाए। ऐसा न करने पर सुपर बाजार के मालिकों को धमकाया जाता है। यह हो रहा है इन देशों में

फ्रांस	मुस्लिम	8 प्रतिशत
फिलिपाईस	मुस्लिम	5 प्रतिशत
स्विटजरलैंड	मुस्लिम	4.5 प्रतिशत
हालैण्ड	मुस्लिम	5.5 प्रतिशत
त्रिनिदाद व टोबैगो	मुस्लिम	5.8 प्रतिशत

इतनी संख्या होने पर मुसलमान देश की सरकार पर दबाव डालना प्रारम्भ करते हैं, मुसलमानों को उनके ठिकानों पर रहते हुए वहाँ मुस्लिम कानून लागू हों, तथा मुसलमान शरिया के अनुसार चलें

ऐसी मांग रखी जाती हैं। मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य भी यही है कि सारी दुनिया पर शरीया लागू किया जाए।

4. $e\{Lye\ tul\ \&[;k\ 10\ ifr'kr$ के पार हो जाती है तो वह अपनी मांगें मनवाने के लिए हिंसक आंदोलन करने लग जाते हैं।

(1) पेरिस में कारों के जलने की घटनाएँ हो चुकी हैं

(2) यदि किसी गैर मुस्लिम समुदाय द्वारा कोई मुस्लिम विरोधी बात हो जाती है तो मुसलमान भड़क जाते हैं और धमकाने लगते हैं। ऐम्सटर्डम में मुहम्मद के कार्टून बने तो हंगामा हो गया। ऐसे देशों में इस प्रकार तनाव की स्थिति बनी रहती हैं।

गाईयाना	मुस्लिम	10 प्रतिशत
भारत	मुस्लिम	14 प्रतिशत
इजराईल	मुस्लिम	16 प्रतिशत
कीनिया	मुस्लिम	10 प्रतिशत
रूस	मुस्लिम	15 प्रतिशत

5. $e\{Lye\ 20\ ifr'kr\ gkus\ ij\%$ ऐसे देशों में बात-बात पर फसाद, आतंकवाद, हिंसा इत्यादि तथा चर्च, मंदिर, यहूदी साइनागॉग का जलाया जाना। उदाहरण:

ईथोपिया मुस्लिम 32.8 प्रतिशत

6- $e\{Lye\ 40\ ifr'kr$: इस स्थिति में व्यापक रक्तपात, आतंकी सेनाओं का निर्माण तथा लगातार लड़ाई। उदाहरण:-

बोस्निया	मुस्लिम	40 प्रतिशत
छाड़	मुस्लिम	53.1 प्रतिशत
लेबनान	मुस्लिम	59.7 प्रतिशत

7 $e\{Lye\ 60\ ifr'kr\ ls\ mij\%$ इतनी संख्या होने पर देश में गैर मुस्लिमों पर लगातार अत्याचार, कभी-कभी पूर्ण जबरन पलायन, शरीया कानून को हथियार के रूप में लाया जाना, गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाया जाना। उदाहरण :-

अलबानिया	मुस्लिम	70 प्रतिशत
मलयेशिया	मुस्लिम	60.4 प्रतिशत
कतार	मुस्लिम	77.5 प्रतिशत
सुडान	मुस्लिम	70 प्रतिशत

8- $e\{Lye\ 80\ ifr'kr\ ls\ mij\%$ प्रतिदिन, हिंसा, जिहाद राज्य स्तर पर गैर मुस्लिमों का सफाया करना और देश को 100 प्रतिशत मुस्लिम बनाने के प्रयास। उदाहरण:-

बंगलादेश	मुस्लिम	83 प्रतिशत
मिश्र	मुस्लिम	90 प्रतिशत
गाजा	मुस्लिम	98.7 प्रतिशत
इण्डोनेशिया	मुस्लिम	86.1 प्रतिशत
ईरान	मुस्लिम	98 प्रतिशत
जॉर्डन	मुस्लिम	80 प्रतिशत
कश्मीर घाटी(भारत)	मुस्लिम	98.7 प्रतिशत
मोरोक्का	मुस्लिम	99 प्रतिशत
फिलिस्तीन	मुस्लिम	90 प्रतिशत
तजाकिस्तान	मुस्लिम	90 प्रतिशत
संयुक्त अरब अमीरात	मुस्लिम	96 प्रतिशत

9 100 ifr'kr ij 'kkfr% दारुल इस्लाम की स्थापना। यहाँ कहने को शांति है। सब मुसलमान है। केवल मदरसे ही शिक्षा के केन्द्र हैं। कुरान एक मात्र सत्य है।

अफगानिस्तान	मुस्लिम	100 प्रतिशत
सउदी अरब	मुस्लिम	100 प्रतिशत
सोमालिया	मुस्लिम	100 प्रतिशत
यमन	मुस्लिम	100 प्रतिशत

10. okLrfodr% दुर्भाग्य से शांति कभी नहीं होती। अधिक कट्टर मुसलमान कम कट्टर मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनका प्रताड़न करते हैं और बात-बात पर रक्तपात होता रहता है। "जब मैं 9 वर्ष का था तब से ही मुझे अरब जीवन का मर्म पता चल गया था। मेरा भाई मेरा शत्रु, मैं और मेरा भाई अपने बाप के शत्रु, मेरा परिवार चचेरे भाई, संबंधियों के शत्रु, मेरा कबीला अन्य कबीलों का शत्रु, हमारे सब कबीले दुनिया के शत्रु और हम सब संसार भर के काफिरों के शत्रु।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में भी हैं, जैसे फ्रांस में, वहाँ के मुसलमानी मुहल्लों में 100 प्रतिशत मुसलमान होते हैं और वहाँ मुस्लिम शरीया कानून ही चलता है।

सर्वविदित है कि बहुत कम लोग ही इस्लाम के धार्मिक स्वरूप से प्रभावित होकर मुसलमान बनते हैं। अधिकांश तो उसके संगठनात्मक स्वरूप के ही जाल में फंसकर मुसलमान बनते हैं और वहाँ जाने के बाद उनका ऐसा एकपक्षीय ब्रेनवाश होता है कि वे संगठनात्मक योजनाओं के पालन को ही धर्म मानना शुरू कर देते हैं। उनके समक्ष उसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं रहता कि वे किसी और विकल्प का चुनाव करें।

ईश निन्दा कानून सम्पूर्ण विश्व के लिये एक कलंक हैं। पुरानी सदियों में इस्लाम ने चाहे जजिया कर लगाया या जीवित लोगों को जमीन में गड़वाया। वे सब इतिहास की घटनाएँ हैं जिन्हें भुलाने की जरूरत है। किन्तु इक्कीसवीं सदी का इस्लाम इतनी बेशर्मी से छाती ठोक कर ऐसे कानून बनावे और ऐसे कानून की मौखिक आलोचना मात्र करने वाले की हत्या का जुलुस निकालकर समर्थन करे यह तो बेशर्मी की सारी हदें पार होने वाली बात है। इस घटना की सम्पूर्ण विश्व में व्यापक निन्दा होनी चाहिये और हो भी रही है किन्तु भारत में इस घटना के विरुद्ध प्रतिक्रिया ठंडी है। अल्पसंख्यक मुसलमान तो बेचारे दबे सहमें से हैं। भाई साजिद रशीद या आरिफ मोहम्मद खान जैसों ने नक्कारखाने में तूती की आवाज बजा दी। बहुसंख्यक मुसलमान इस्लामिक संगठन के निर्देशों की समीक्षा कभी करता ही नहीं। वह तो सिर्फ या तो कट्टरवाद का समर्थन करना जानता है या चुप रहना। कट्टरवाद के समर्थक वामपंथी इस मामले के चुपचाप ठंडा होने देने के पक्षधर हैं। संघ परिवार इसकी आलोचना कर नहीं सकता क्योंकि वह स्वयं भी तो भारत में ऐसे कानूनों का पक्षधर रहा है जो हिन्दू समाज के पक्ष में बनें। बाकी बचा कौन जो इस मामले को उठावे।

सारी दुनिया में इस्लाम का संगठित स्वरूप अलग थलग पड़ता जा रहा है। बेचारे धार्मिक मुसलमान भी संदेह के घेरे में आते जा रहे हैं क्योंकि कट्टरवादी संगठित इस्लामिक समूहों से अलग हटकर तो ये बेचारे अपनी पहचान बना नहीं पा रहे और अलग पहचान के अभाव में दुनिया इन्हें शक की नजर से देखे तो न दुनिया का दोष न इनका। गेहूँ के साथ घुन का पिसना कोई नई बात नहीं। ऐसी स्थिति में विश्व के सभी शान्तिप्रिय लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिये। जैसा उपर में दुनिया के देशों में आबादी के प्रतिशत के आधार पर मुसलमानों के बहुमत के आचरण की बात कही गई है वह तर्क संगत भी दिखती है और खतरनाक भी। अभी अभी ऐसे पिठुओं का एक दल शान्ति सैनिक के नाम पर इजराइल में परेशान फिलस्तीनियों का समर्थन करके दिन रात अपनी पीठ थपथपाने की कसरत कर रहा है। अच्छा होता कि ऐसा दल भारत से इजराइली अत्याचार का प्रभाव देखने के पहले कश्मीर में पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को देख लेता। अच्छा हो यदि इस दल के लोग पाकिस्तान में हो रहे ऐसे बेशर्म कानूनों के विरुद्ध भी मुँह खोलते। सारा विश्व आतंकवाद से चिन्तित है। साम्यवाद तो

परास्त होकर अब कटटरपंथी मुसलमानों के कन्धों पर बन्दूक रख चुका हैं। कटटरपंथी संघ परिवार असीमानन्द प्रकरण से मुँह छिपाने की जगह खोज रहा है। अब तो आशा की एक ही किरण है कि भारत का आम शान्तिप्रिय हिन्दू अल्पसंख्यक शान्ति प्रिय मुसलमानों को साथ लेकर आतंकवाद के खिलाफ विश्व जनमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ा क्यों न हो। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मुस्लिम आतंकवाद योजनावद्ध तथा बेशर्म स्वरूप में सामने आने से खतरनाक स्वरूप में दिखने लगा है, जो चिन्ता का विषय है।

मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर एक व्यापक बहस छिड़े। भारतीय मुसलमानों को इस संबंध में खुलकर अपनी बात रखनी चाहिये। यह लेख लिखने का मेरा उद्देश्य भारत में भी एक बहस छेड़ना मात्र है जिससे सच्चाई समाज के समाज में प्रकट हो सके और यदि कहीं मेरी जानकारी अधूरी हो तो मैं भी उसे सुधार सकूँ।

fouk; d l u i d j . k] , d u b l f n ' k k

नक्सलवादियों की कई शाखाएँ होती हैं जिसकी पहली शाखा होती है विचार प्रसार शाखा और अंतिम शाखा है गोलीमार शाखा। बीच में और भी कई प्रकार की शाखाएँ होती हैं। प्रचार शाखा के लोग समाज में घूम घूम कर नाटकों, गीतों, कविताओं, लेखों या भाषणों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार मात्र करते हैं। ये कभी नक्सलवादियों के साथ स्पष्ट नहीं होते। दूसरी शाखा के लोग विचार प्रसार शाखा की सहायता भी करते हैं और समय समय पर गोलीमार शाखा की गुप्त सहायता भी करते हैं। ये बीच वाले लोग भी कभी स्पष्ट नहीं होते। अरुन्धती राय नक्सलवादियों की पहली शाखा की सदस्य रही हैं जो विचार अभिव्यक्ति से आगे नहीं जाती। और विनायक सेन नक्सलवादियों की दूसरी शाखा के सदस्य रहे हैं जो गुप्त रूप से उनकी सहायता भी करते रहे हैं। मैं अरुन्धती राय के विचारों के विरुद्ध होते हुए भी उन पर कानूनी कार्यवाही का पक्षधर कभी नहीं रहा जब तक वह विचार अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर किसी क्रिया में न उतरे। विनायक सेन मानवाधिकार संस्थाओं के नाम पर ढके छुपे गोलीमार शाखा की सहायता करते रहते थे यह जग जाहिर है। पी.यू.सी.एल. के अनेक कार्यकर्ता ऐसी ओट के सहारे नक्सलवाद का समर्थन करते रहते हैं यह भी किसी से छुपा नहीं किन्तु ऐसा कोई सदस्य गोलीमार शाखा की सहायता करता है यह भेद अब खुला। नक्सलवाद का समर्थन और नक्सलवादी की सहायता बिल्कुल भिन्न विषय हैं। समर्थन में अभिव्यक्ति मात्र है क्रिया नहीं। सहायता में अभिव्यक्ति मात्र न होकर क्रिया भी जुड़ी हुई है जो निश्चित रूप से अपराध है। इस तरह विनायक सेन ने भूल की जो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया।

विनायक सेन का कार्य किसी भी रूप में किसी मरीज का इलाज न होकर नक्सलवादी की सहायता थी। जेल में वह अकेला बीमार नहीं था जिसके इलाज की मानवीय तड़प विनायक सेन में थी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी मशीनरी ने सेन को कुछ विशेष छूट दी जिन्हें सेन समझ नहीं सके और सरकारी जाल में फंसते चले गये। जब पुख्ता सबूत लायक स्थिति बनी तब इन्हें पकड़ा गया। विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि विनायक सेन को उपरी अदालत से छूट मिलेगी या नहीं क्योंकि ऐसी प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सजा से सम्पूर्ण अराजक खेमे में हड़कम्प मचा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। अब तक तो ये लोग बेघड़क मदद करते रहते थे और कोई कुछ नहीं बोलता था। अनिल चमड़िया से लेकर अशोक बाजपेयी तक जो अपेक्षाकृत ढके छुपे माने जाते हैं वे भी अब मैदान में कूद पड़े हैं। ये लोग इस प्रकरण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर भ्रम फैला रहे हैं जबकि विनायक सेन प्रकरण अभिव्यक्ति की सीमा तक न रहकर प्रत्यक्ष क्रिया का मामला है। विनायक की पत्नी एलिना को पारिवारिक कारणों से भी सहायता की पात्रता है और कहीं उसका भी नंबर न आ जावे इसकी भी चिन्ता है। एलिना तो अब भारत छोड़ने का भी मन बना रही हैं। सरकार को उन पर नजर रखनी चाहिये। किन्तु ये अनिल चमड़िया, अशोक बाजपेयी जैसे लोगों को एलिना जैसी चिन्ता नहीं। उन्हें चिन्ता है भारत के बदलते परिदृश्य की जहाँ अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष सहायता

के बीच अन्तर होने लगा है। पी०यू०सी०एल० के अन्य पदाधिकारियों को बेशर्म दलीलें देने की अपेक्षा शर्म से सिर झुका लेना चाहिये कि उनकी संस्था का नाम इस तरह बदनाम हुआ। और यदि वे इसे ठीक समझते हों तो वे भी वैसा ही करने का साहस करें जैसा विनायक ने किया। कानून उन्हें भी सबक सिखा देगा।

अब वह जमाना गया जब वामपंथियों को समाजवाद और मानवाधिकार के नाम पर कुछ भी लिखने और करने की छूट थी। अब हिंसक क्रान्ति का सपना देखने वाले आंख खुलते ही स्वयं को जेल के अन्दर पायेंगे क्योंकि अब न्यायालय भी आलोचनाओं के भय से दूर होकर न्याय करने की हिम्मत दिखाने लगे हैं। अब साम्यवादी वामपंथ भी अतिवादी नक्सलवाद का खुला समर्थन करने से हिचकिचा रहा है। अब वैसे हालात नहीं जैसे पिछले साठ वर्षों में रहे हैं। विनायक सेन की सजा से यदि अतिवादियों के सफेद पोश समर्थकों में हड़कम्प मचा है तो यह एक शुभ संकेत ही है। क्योंकि नक्सलवाद का छिपकर समर्थन करने वालों को अब खुले मैदान आना पड़ रहा है। मुझे तो आश्चर्य है कि अब तक दिग्विजय सिंह जी स्वामी अग्निवेश ब्रम्हदेव शर्मा की मंडली किस बात की प्रतीक्षा कर रही है अन्यथा उन्हें तो विनायक सेन के समर्थन में तुरंत ही आ जाना चाहिये था।

उच्च न्यायालयों से विनायक सेन छूट भी जावें तो भी वातावरण में परिवर्तन तो दिख ही रहा है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये कि अब भारत में आतंकवाद अवश्य ही ठिकाने लग सकेगा। किन्तु इन सबके साथ ही हमें यह भी समीक्षा करनी चाहिये कि इस प्रकार के प्रकरण क्या आजन्म कारावास की सजा योग्य हैं या इनकी सजा सात आठ वर्ष ही पर्याप्त है। प्रत्यक्ष अपराध, करना अपराध में सहायक होना और अपराधी की सहायता करना ये तीनों तीन अलग अलग विषय हैं। इस आधार पर कानून की समीक्षा भी करनी चाहिये। विनायक सेन प्रकरण में सजा यदि कम होती तो इतना भावनात्मक उबाल पैदा करने में हिंसक तत्वों को सफलता नहीं मिलती। पूरा देश कहीं न कहीं यह महसूस करता है कि सजा ज्यादा है। मैं भी महसूस करता हूँ। हिंसक तत्व इसका लाभ उठा रहे हैं। अतः हमें चाहिये कि विनायक सेन जैसे हिंसा के पक्षधर अपराधियों का पूरा पूरा विरोध करते हुए भी ऐसे मामलों की ठीक से समीक्षा करें। भारत भावना प्रधान देश है। यहाँ किसी भी मामलों में अति होते ही भावनाएँ भड़कती हैं। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर समाज विरोधी तत्व पूरी दिशा बदलने की ही कोशिश में लग जाते हैं। विनायक सेन प्रकरण में भी यही हुआ। अतिवादी दण्ड का लाभ उठाने में समाज विरोधी तत्व सक्रिय हुए और वातावरण को गलत दिशा देने लगे। हम सबका कर्तव्य है कि हम सच को सच के रूप में समाज तक लाने का प्रयत्न करें।

मैं अकेला ही चला था.....

करीब तीस वर्ष पहले जब मैं भारतीय जनतापार्टी के संगठन के कुछ उच्च पदों पर था तब भी मेरा दल की आर्थिक नीतियों से मतभेद रहता था और आज भी है। महंगाई शब्द को ही मैं अर्थहीन बताता था। सन् चौरासी पचीस दिसम्बर से जब से मैंने राजनीति छोड़ी तबसे खुलकर बोलने और लिखने लगा कि—

01. महंगाई एक अर्थहीन शब्द है जिसका कोई प्रभाव किसी पर तब तक नहीं होता जब तक उसकी क्रय शक्ति भी समान रूप से न बढ़ती रहे।
02. मुद्रास्फीति का अर्थ होता है नगद रूपये पर अघोषित कर। इसका कोई प्रभाव गरीबों पर बिल्कुल नहीं होता।
03. भारत की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के संचालन में निम्न वर्ग की भूमिका शून्यवत् है। मध्यम और उच्च वर्ग अपने अपने स्वार्थों के लिये अर्थनीति बनाते और संचालित करते हैं।
04. महंगाई शब्द सन् सैंतालिस से ही राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के लिये उपयोग किया जाने लगा। राजनीति इसे सत्ता परिवर्तन के लिये, कर्मचारी अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिये तथा उच्च मध्यम वर्ग बढ़ती आर्थिक विषमता पर से निम्न वर्ग का ध्यान हटाने के लिये समय समय पर उपयोग करते या बढ़ाते रहे।
05. महंगाई शब्द आर्थिक स्तर पर गरीब वर्ग को धोखे में रखने का आसान माध्यम है।

मैं इस विषय पर लिखने और बोलने वाला बिल्कुल अकेला व्यक्ति था। प्रारंभ में तो श्रोता और पाठक मेरे कथन से सहमत नहीं होते थे, भले ही वे निरुत्तर हो, क्योंकि मैं अकेला था। किन्तु लगातार महंगाई विषय पर लिखते लिखते ज्ञानतत्व के पाठक सीमित संख्या में समर्थन भी करने लगे। फिर भी भारत का कोई अर्थशास्त्री मेरे कथन से सहमत नहीं हुआ क्योंकि आर्थिक विषयों पर उन्होंने पश्चिमी देशों की परिभाषाएँ पढ़ रखी थी और उनकी नजर में वे परिभाषाएँ अकाट्य थी। एक भी विद्वान न मेरी बात को कभी काट सका न ही स्वीकार किया। यहाँ तक कि मैं भरत झुनझुनवाला का बहुत सम्मान करता हूँ किन्तु वे भी मेरे तर्कों पर झुंझला जाते थे। मेरा तर्क था कि यदि सन् सैंतालिस में रूपया चांदी का था और आज कागज का तो क्या आपको आज भी उसी रूपये की तुलना में वस्तु मिले? रूपये के मूल्य हास को महंगाई कहकर गरीबों में भय पैदा करना कितना उचित है? मैं यह भी पूछता था कि भारत में आम लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है यह स्पष्ट है। गरीब से गरीब तक का भी। फिर महंगाई का किसके उपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया गया न था।

दिसम्बर दस के अंतिम दिनों में पहली बार पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान भारत के गृहमंत्री पी0 चिदम्बरम् ने ढके छुपे स्वीकार किया कि महंगाई एक अघोषित कर है। चिदम्बरम् के कथन से मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि यह कर भी सिर्फ नगद रूपये की क्रय शक्ति ही कम करता है, अन्य वस्तुओं या सम्पत्ति पर इस अघोषित कर का कोई प्रभाव नहीं होता। या तो इतना अधिक स्पष्ट करना पूंजीपतियों को नाराज कर सकता था अथवा वे खुद भी इतना दूर तक न समझे हों। स्थिति चाहे जो हो किन्तु उन्होंने गोल मोल यह बात कह ही दी। कल जब प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने यह बात कही कि महंगाई का हल्ला एक भ्रम है तथा अनावश्यक है, अर्थहीन है, तब समझ में आया कि ये मनमोहनसिंह, चिदम्बरम् प्रणव मुकर्जी आदि पहले से जानते थे कि महंगाई कृत्रिम शब्द है जिसका गरीब तबके को भ्रम में डालने के लिये सिर्फ उपयोग हो रहा है। ये जानते हुए भी इसलिये चुप रहे कि इसी शब्द का उपयोग करके तो कांग्रेस ने भी कई बार सरकारें गिराई हैं। और यदि कहीं फिर भी जरूरत पड़ी तो यह शब्द सुरक्षित रखना आवश्यक है। महंगाई शब्द की उपयोगिता को समझते हुए भी मनमोहन सिंह जी की टीम ने यह कह कर ऐतिहासिक हिम्मत का काम किया है कि महंगाई का हल्ला बेकार की बात है। स्वयं कांग्रेस पार्टी का एक गुट इस स्पष्ट कथन से असहमत था तभी तो दो दिनों तक इस संबंध में एक राय नहीं बन सकी। और अन्त में असहमति के बाद भी एक पक्षीय घोषणा होना स्थिति की गंभीरता स्पष्ट करता है।

अब तक विपक्ष "महंगाई है" कहकर अपने तीर चलाता था और सरकार उन तीरों से घायल होकर मरहमपट्टी करती थी। अब सरकार तीर वापस करना शुरू कर देगी। विपक्ष के तीर भोथरे हो जायेंगे। पश्चिमी देशों की किताबें पढ़कर बने अखबारी अर्थशास्त्री भी या तो इस घोषणा की आलोचना करेंगे या समीक्षा करेंगे। एक भ्रम दूर हो जायेगा।

प्रश्न उठता है कि जो बात मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की समझ में तीस वर्ष पूर्व आ गई थी उतनी सी बात हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम् प्रणव मुकर्जी को समझने में इतनी देर क्यों लगी? क्या ये लोग जानते हुए भी कह नहीं पा रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि वे कहना नहीं चाहते थे क्योंकि यह बात कहना खतरे से खाली नहीं था। जिस देश में ज्यांत्रेज जैसा व्यक्ति अर्थशास्त्री माना जाता हो और सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हो, वहाँ कुछ भी स्पष्ट बोलना खतरनाक तो होना ही है। पता नहीं सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को अस्थिर करने के उद्देश्य से सोच समझकर ऐसे लोगों को परिषद में लिया है या उनका उद्देश्य इन सबका मुँह बन्द करना मात्र है यह तो बाद में पता चलेगा किन्तु इस टीम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं। ऐसी विषम स्थिति में प्रधानमंत्री जी की टीम ने जितना जोखिम उठाया है वह वास्तव में अभूतपूर्व है।

हम विपक्ष की कोई आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसका तो वही काम है। जब दस वर्ष पूर्व टमाटर और प्याज में इतनी ताकत थी तो आज भी होगी तो अवश्य ही। टमाटर और प्याज महंगा होने से गरीब आदमी परेशान हो गया यह हर टी0बी0 और अखबार का एक ही कथन है। यदि हम कुल आबादी को तीन भाग गरीब, मध्यम और अमीर में बांटे तो तैंतीस प्रतिशत गरीब अपने भात रोटी में कितना टमाटर और प्याज खाता होगा और वह भी कितना खरीद कर? और एक बात यह और भी कि

यदि उसे टमाटर प्याज नहीं मिला तो उस पर कितना प्रभाव होगा यह तो टी0बी0 वाले ही बता सकते हैं, मैं नहीं। टमाटर प्याज खा खाकर मोटी हो रही सम्पन्न महिलाओं के घड़ियाली आंसू टी0वी0 में रोज देखने सुनने को मिल रहे हैं। टी0बी0 वाले एक भी लकड़ हारे या फुटपाथी से यह प्रश्न नहीं करते। उनसे पूछते हैं दाल और तेल। यदि टी0वी0 वाले सच जानना चाहते हों तो इन गरीब लोगों से यह पूछो न कि बीस तीस वर्ष पहले वे जितनी दाल और तेल खाते थे उससे अब मात्रा घटी है या बढ़ी है? स्पष्ट है कि उनके जीवन स्तर में कई गुना सुधार हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि टीवी में प्याज टमाटर का रोना रोने वालों के जीवन स्तर में इन बेचारों के जीवन स्तर की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सुधार है। उन्हें दुख इस बात का नहीं कि प्याज टमाटर महंगा हो गया, उन्हें तो दुख इस बात का है कि सिर्फ उन्हीं का जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरता। ये बीच में गरीब कहीं से टपक जाते हैं। टीवी और अखबार इन बड़े लोगों से ही पलते हैं तो बेचारे क्या करें?

मनमोहन सिंह जी ने बहुत हिम्मत करके कहा है कि मंडियों में लगने वाला टैक्स खतम कर दिया जावे। गेहूँ चावल सब्जी दाल तेल पर सरकारें भारी भारी टैक्स वसूलती हैं और उन्हीं दलों के प्रतिनिधि गेहूँ चावल सब्जी दाल तेल की महंगाई का आंदोलन करते हैं। यह दुहरी नीति क्यों? हमारे राष्ट्रीय सलाह कार परिषद् वालों को आज तक यह बात क्यों नहीं दिखी कि राज्य सरकारें सब प्रकार के कृषि उत्पादों पर भी टैक्स वसूल कर किसानों की कमर तोड़ रही है। यदि महंगाई है तो उसका समाधान उत्पादक को प्रोत्साहन से ही संभव है। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने दीजिये। उस मूल्य वृद्धि से जो गरीब वर्ग प्रभावित होता है उसे नगद सब्जी दे दीजिये। साधारण सा समाधान न करके आप वस्तुओं के मूल्य कम करने की बात करके उत्पादकों को आत्म हत्या के लिये मजबूर करते हैं। किसान जिन्दा नहीं रहा तो उपभोक्ता जिन्दा नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता के बाद लगातार कृषि उत्पाद सस्ता होता गया। खेती घाटे का व्यवसाय बन गई। कृषि की विकास दर सबसे कम है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य मुद्रास्फीति के आधार पर बढ़ने से रोका गया। किसी वस्तु के महंगी होने का एक ही भारतीय फार्मूला है:— किसी वस्तु का उस वर्ष का मूल्य जिससे तुलना करनी है ग उस वर्ष से आज तक का रुपये का मूल्य हास – आज का वस्तु का मूल्य। सोना चांदी जमीन छोड़कर कौन सी चीज महंगी हो गई जो आसमान सर पर उठा लिया है। किसी में हिम्मत है तो बतावें तब पता चले। बेचारा गेहूँ चावल भी धूल चाट रहा है। गेहूँ सन् साठ में चालीस रुपये से पचास रुपये प्रति क्विंटल के बीच था। यदि हम पैतालीस मान लें तो 45 ग मुद्रा स्फीति 50 त्र2250 रू0। बताइये कि गेहूँ का भाव आज आधा है या नहीं। अब तक मेरी बात हवा में उड़ा दी जाती थी किन्तु अब तो मैं आधिकारिक रूप से प्रश्न कर रहा हूँ कि महंगाई का हल्ला करने वाले उन वस्तुओं का नाम और प्रमाण बतावें जो पिछले वर्षों में महंगी हुई है और जिनका प्रभाव तैंतीस प्रतिशत गरीब वर्ग पर पड़ा हो? आम उपभोक्ता शब्द गढ़कर मध्य वर्ग को आम होने का आभास करा देना अब तक आसान था किन्तु अब नहीं रहेगा।

अंत में मैं मनमोहनसिंह जी की टीम को इस ऐतिहासिक कदम के लिये धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे भविष्य में भी ऐसे कदम उठाते रहेंगे।

i =kRrj

¼1½ Jh vke izk'k izk'k] Nks/h igok] bLekbyig] ckjkcadh] mRrj i ns k&225301

l puk& हम सबने पूर्व न्यायाधीश रामचन्द्र जी शुक्ल की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल कर शासन को भेजे।

¼1½ ग्राम पंचायत स्तर पर भी लोकसभा, विधान सभा की भौति पक्ष-विपक्ष की व्यवस्था कर सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

¼2½ ग्राम पंचायत को इकाई स्तर पर प्रत्येक निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता (गलती तक करने की) प्रदान की जाये। निर्णय सर्वसम्मति अथवा 10 प्रतिशत बहुमत से होने की अनिवार्यता हो।

1/3½ ग्राम पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी का कार्य ग्राम वासियों को सौंपा जाये। शासन-प्रशासन ग्रामवासियों की सर्वसम्मति अथवा 10 प्रतिशत बहुमत की सहमति पर ही सम्पन्न कार्य को मान्यता दें।

अतः आपसे निवेदन है कि आप उक्त प्रस्तावों की समीक्षा करें।

Lkeh{kk& आपके पहले प्रस्ताव से मैं असहमत हूँ। पक्ष और विपक्ष की आवश्यकता सत्ता में होती है, व्यवस्था में नहीं। राजा तानाशाह न हो जावे इसलिये विपक्ष अनिवार्य है। मैनेजर व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं। लोक स्वराज्य में तो बिल्कुल भी उचित नहीं क्योंकि लोक स्वराज्य समाज व्यवस्था है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में प्रत्येक व्यक्ति को गुण दोष के आधार पर, विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। मेरा तो मत है कि संसद और विधान सभाएँ भी पक्ष विपक्ष की बीमारी से हट सकें तो अच्छा होगा।

ग्राम पंचायत के निर्णय नव्वे प्रतिशत से हों यह अच्छी बात है किन्तु यदि ऐसा न हो तब ऐसे विवादास्पद प्रस्तावों का निर्णय ग्राम सभा करें। ग्राम सभा अपीलेंट एथोरिटी होनी चाहिये जहाँ नव्वे प्रतिशत की बाध्यता न हों। आपने ग्रामवासी शब्द लिखा है उसका आशय ग्राम सभा शब्द से ही है।

02- i / u & आप दिग्विजय सिंह जी की आलोचना करते रहते हैं। श्री सिंह ने हेमन्त करकरे से फोन पर हुई बात का हवाला दिया था, उसकी भी आपने आलोचना की थी। अब दिग्विजय सिंह जी ने फोन काल रेकार्ड प्रस्तुत करके सिद्ध कर दिया है कि वे सच बोल रहे थे।

उत्तर— मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और न लिखा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। जब तक मुझे ठीक ठीक जानकारी न हो जावे तब तक मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि हेमन्त करकरे की हत्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों के अतिरिक्त किसी और का भी हाथ हो सकता है, यह बात बिल्कुल गलत है। हेमन्त करकरे से दिग्विजय सिंह जी की बात हुई या नहीं इसकी सच्चाई जानना मेरा उद्देश्य नहीं। ऐसे झूठे प्रमाण अनेक लोग बनाते रहते हैं और अनेक लोग सच्चे प्रमाणों को झुठलाते रहते हैं। हेमन्त करकरे ने मालेगांव अजमेर शरीफ आदि के बम ब्लास्टों का रहस्योद्घाटन करके साम्प्रदायिक हिन्दुओं की कमर तोड़ कर रख दी। हो सकता है कि उन्हें ऐसे तत्व धमकाते भी हों। हो सकता है कि हेमन्त करकरे ने ऐसा खतरा दिग्विजय सिंह को बताया भी हो या यह भी संभव है कि दिग्विजय जी ने कुछ और बात को बदल कर यह कह दिया हो। चाहे बात कुछ भी हो किन्तु उस बात से हेमन्त करकरे की प्रत्यक्ष हत्या में मीन मेख निकालना ए0आर0 अन्तुले का तो माफ हो सकता क्योंकि वे तो घोषित साम्प्रदायिक माने जाते हैं किन्तु श्री सिंह का इतना गन्दा रेकार्ड कभी नहीं रहा। वे नक्सलवादियों के घोषित शुभ चिन्तक हैं, संघ विरोधी भी हैं, मुस्लिम कट्टरवाद समर्थक भी माने जाते हैं किन्तु इस तरह झूठ बोलकर अपनी सारी बची खुची प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देंगे ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। यदि हेमन्त करकरे ने खतरे की जानकारी दी हो, तब भी नहीं। दुनिया जानती है कि पंडित नेहरू के लिये स्वतंत्र भारत में गांधी बोज़ बने हुए थे। क्या ऐसा ही आरोप गांधी हत्या के लिये नेहरू जी पर भी लगाना उचित है? जिस तरह दिग्विजय सिंह जी ने दुर्भावना वश हेमन्त करकरे हत्या पर अनर्गल संदेह व्यक्त किया वैसा ही अनर्गल संदेह तो सुदर्शन जी ने कुछ दिन पूर्व ही सोनिया गांधी पर राजीव हत्या या इन्दिरा गांधी की हत्या के लिये व्यक्त किया था। उस समय दिग्विजय जी ने सुदर्शन जी के खिलाफ बुरा भला कहा था और अब सुदर्शन जी दिग्विजय के लिये कहेंगे। इन पेशेवरों के कथन से हमारा लेना देना नहीं। हम तो यह मानते हैं कि न सुदर्शन जी दूध के धोये हैं न दिग्विजय सिंह जी। सुदर्शन जी को सटिया गये मानकर माफ भी कर सकते हैं किन्तु दिग्विजय अब तक मैदान में मौजूद है इसलिये उन्हें तो इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा।

मैं जानता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी पहले भी कूटनीति ही करते रहे हैं और अब भी सच को झूठ झूठ को सच बनाने में माहिर हैं। सन् छियान्नवे में उस समय के केन्द्रीय मंत्री सलीम शेरवानी जी को इन्होंने जिस तरह गुमराह किया था वह घटना भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनकी राजनैतिक ताकत भी जानता हूँ। इसलिये मेरा सुझाव है कि अब तो कम से कम दिग्विजय जी को अपनी पुरानी आदत छोड़ देनी चाहिये।

03-Jh pllnz eksys'oj 01-08-28 ; 'kollr Hkou] vyoky] fl dUnjkckn]vka'kz

17 u& ज्ञान तत्व मिला। इस अंक में आपने नई चेतना लाने के लिए ग्राम सभा सशक्तिकरण का आव्हान किया है। आज के राष्ट्रीय चरित्र का इतना पतन हो गया है कि कोई भी तंत्र काम नहीं कर सकेगा। अच्छा कार्य करने वाले को लोग टिकने नहीं देते। ईमानदार अधिकारी को गली-गली घुमाया जाता है। किरण बेदी ताजा उदाहरण हैं। क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई? शायद रामदेव बाबा भी इस तथ्य को समझ गए हैं कि आचार और राजनीति दो अलग पथ हैं और कभी मिल नहीं सकते.... पूरब और पश्चिम की तरह। वैसे भी, ग्राम पंचायतों में भी क्या हो रहा है? जहां महिला सरपंच है, उसका पति काम चलाता है। जहां ईमानदार सरपंच है उसे या तो टिकने नहीं दिया जाता या हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे अराजक माहौल से देश को कौन और कैसे निकालेगा? नव वर्ष की शुभकामनाएं।

mRrj& मैं आपसे सहमत हूँ कि आज समाज में अच्छे लोगों का मनोबल टूटा हुआ है और लगातार तोड़ा जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें इस दिशा में कुछ सोचने और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किरण बेदी ने जितना संघर्ष किया उससे कम सम्मान उन्हें नहीं मिला है। किरण बेदी ने समाज को कोई ऐसी मार्ग नहीं बताया जो इस बुराई से समाज को छुटकारा दिला सके। बाबा रामदेव की नीयत पर अब तक संदेह नहीं रहा। उन्हें भी समाज ने उम्मीद से ज्यादा सम्मान और समर्थन दिया है। मैं भी उनका प्रशंसक हूँ। किन्तु बाबा रामदेव जी ने भी कोई मार्ग नहीं दिया। वर्तमान बुराइयों की आलोचना एक भिन्न विषय है और समाधान निकालना भिन्न।

समाज शास्त्र एक भिन्न विषय है और राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, शरीर विज्ञान भिन्न। न किरणबेदी जी ने समाज शास्त्र पर गहन शोध किया है न बाबा रामदेव जी ने। किरणबेदी जी ने लोगों को शिक्षित करने का मार्ग बताया। जब शिक्षा सत्ताइस प्रतिशत थी तब भ्रष्टाचार तीन प्रतिशत था और आज शिक्षा सत्तर प्रतिशत है तो भ्रष्टाचार नव्वे प्रतिशत है। क्या मार्ग बता रही हैं किरण बेदी? रामदेव जी कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को बिठाओ। सन् सैतालीस में तो अनेक अच्छे लोग बैठे थे तो समाज रसातल में क्यों चला गया? मार्ग क्या बताया जा रहा है। समाज शास्त्र पर गहन शोध करने की जरूरत थी किन्तु शोध की अवस्था में वे प्रसिद्धि के जाल में फंस गये। परिणाम स्वरूप उन्हें उतनी प्रसिद्धि मिली। समाज शास्त्र पर किये गये शोध का परिणाम यह निकला है कि समाज राज्य और धर्म भिन्न भिन्न इकाइयाँ हैं। परिवार व्यवस्था और गांव व्यवस्था समाज के अंग हैं। राज्य और धर्म इन्हें इकाई के रूप में नहीं मानता। राज्य और धर्म तो समाज को कमजोर करके स्वयं उसकी जगह स्थापित होना चाहते हैं जिस प्रयत्न के दुष्परिणाम आज फैली अव्यवस्था के रूप में आप देख रहे हैं और जिसके कारण आप इतने निराश हैं। परिवार व्यवस्था को तोड़ने के प्रयत्नों में ही महिला और पुरुष को अलग अलग इकाई के रूप में प्रतिस्पर्धी बनाकर खड़ा किया जा रहा है जबकि समाज शास्त्र इन्हें परिवार का अंग मानता है। कोई महिला या पुरुष परिवार का अंग होते ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करके एकाकार हो जाते हैं। व्यक्ति के रूप में उनके पास केवल मात्र अपने मूल अधिकार ही सुरक्षित होते हैं। बाकी सारे अधिकार परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। समाज शास्त्र की जानकारी के अभाव में आज किरणबेदीजी भी महिलाओं को पृथक वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहती है और बाबा रामदेव भी और आप भी। ये सब समाज व्यवस्था को तोड़कर राज्य व्यवस्था के अधीन लाने के प्रयत्न हैं।

इन सब का एक ही समाधान है समाज सशक्तिकरण। परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को मजबूत होना चाहिये। राज्य व्यवस्था इस समाधान के विरुद्ध शत्रु के रूप में खड़ी है और धर्म व्यवस्था ने भी विकृत रूप ग्रहण करके साम्प्रदायिक रूप ले लिया है जो समाज को तोड़ने में सहायक हो रहा है। इस्लाम पूरी तरह राज्य व्यवस्था के साथ एकाकार हो गया है, इसाइयत आंशिक रूप से प्रभावित कर रही है तथा संघ परिवार हिन्दुत्व को उधर धकेलने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसे समय में आशा की एकमात्र किरण दिखती है ग्राम सभा सशक्तिकरण। मैं ग्राम पंचायत सशक्तिकरण की बात नहीं कह रहा क्योंकि

ग्राम पंचायतें तो सरकारी एजेन्ट मात्र हैं। नई समाज रचना का पहला आधार ग्राम सभा बन सकती है। ग्राम सभाएँ इतनी मजबूत हो जावें कि वे ग्राम पंचायतों को अपने अधीन कर लें जोकि अब तक सरकारी एजेन्ट बनी हुई हैं। समाज व्यवस्था को मजबूत करने का यही एकमात्र मार्ग है और यही मार्ग कुछ समाधान भी निकाल सकता है।

आपसे निवेदन है कि आप न तो इतने निराश हो न दूसरों को करें। समस्याओं का सिर्फ रोना ही प्रयत्न में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि यदि ज्ञान यज्ञ परिवार ने साठ वर्ष इस विषय पर शोध और प्रयोग में खर्च किये हैं तो उसे समस्याओं की अन्दर तक जानकारी है। अब तो आप केवल इतना ही सोचिये कि आप इस संघर्ष में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास कई भूमिकाएँ हैं। आप इस संघर्ष में राम, नलनील, हनुमान, विभीषण, गिलहरी आदि किसी भी भूमिका में हो सकते हैं यह आपकी क्षमता और इच्छा पर निर्भर है किन्तु आपसे मेरा निवेदन है कि आप भविष्य में समाज को जाति धर्म लिंग भाषा आदि के आधार पर तोड़ने वाले सरकारी प्रयासों की हां में हां मत मिलाइये। यदि आपको कुछ ठीक लगे तो संवाद करिये क्योंकि अब तो ज्ञान तत्व समाज सशक्तिकरण की एक संवाद इकाई के रूप में आपके पास उपलब्ध हैं।

आपने इमेल से संवाद भेजकर समय की बचत की इसके लिये आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं।

04- Jh 'k'kkad feJ Hkkj rh]ncksy] fi Fkk\$ kx<+]mRr jkpyA besy
I s

ज्ञान तत्व अंक 213 मिला। वैचारिक धरातल पर आपके योगदान के बढ़ते कदमों को जान कर प्रसन्नता हुई। अनेक बुद्धिजीवियों पत्रकारों के सवालों का समाधान दे उनको सन्तुष्ट करने के साथ-साथ मार्गदर्शित भी कर रहे हैं। वहीं बिना समझ वाले प्रश्नकर्ताओं को डांट भी पिला रहे हैं।

भ्रष्टाचार और वर्तमान सरकार पर आपका अग्रलेख चिन्ता से चिन्तन की ओर ले जाने का सार्थक प्रयास है। वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार पर देश का अधिसंख्य भी अब तो असफलता, मात्र खानापूर्ति को मानने लगा है। राज्य से केन्द्र तक की एजेन्सियां कोई सार्थक परिणाम देगी ऐसा उनके पिछले इतिहास को देखकर नहीं लगता और न ही सरकार व उसमें बैठे लोग गम्भीर दिखते हैं। उल्टे दुलमुल नीति, निर्णय क्षमता की अक्षमता स्वभाव तो बना ही है अपितु अपराधियों, दोषियों को बचकर निकलने का अवसर देती है। उपर से महंगाई के लिए तो सबके सब हाथ जोड़े से उसकी स्तुति में खड़े दिखते हैं। सार्थक कानून व नीतियों के अभाव में मूल कारण तक यह लोग पहुंच ही नहीं पाते। कोई हल निकलेगा ऐसा तो इनसे मुंगेरी लाल के सपने सा हो गया है।

इसके अतिरिक्त श्रीनगर में तिरंगा फहराने के प्रश्न पर शान्ति व्यवस्था के बहाने न फहराने की चेतावनी से लगता है कि जैसे यह किसी मुख्यमंत्री का नहीं किसी ऐसे का बयान हो जो कश्मीर को अब तक सम्प्रभुता सम्पन्न भारत का अंग न मानता हो। बल्कि होना तो यह चाहिए कि सरकार ही यह घोषणा करती कि इस गणतंत्र पर तिरंगा श्रीनगर में ही फहरेगा और सभी राजनीतिक दल सम्मिलित होंगे तो नीति व स्वार्थ सब का हल कर देता और दूर तक संदेश भी जाता। पर क्लीवता भरी नेतृत्व अक्षमता से ऐसे दिशा बोध सोचने की शक्ति का सोचना भी दिन में तारे खोजने के समान होगा। देश की जनता कब तक यह सब देखेगी और उसके मन-मस्तिष्क पर से धुन्ध के बादल छंट सूर्योदय कब होगा। आदि अनेक प्रश्न आपके समक्ष है। अपना दृष्टिकोण देने का कष्ट करेंगे।

05- jpuk jLrksxh] ejBABesy I s

i7 u& देश के साथ भद्दा मजाक- प्रधानमंत्री का मजाक तो देखो, वे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कहां फेंकेंगे ये भी तो बताओ, दस जनपथ में या चौबीस अकबर रोड़ पर। नगर निगम वाले साफ साफ कह रहे हैं कि सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगेगा। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी कि इस बिमारी की जड़ तो आपकी ही पार्टी है, जिसको आपकी पार्टी ने पिछले तरेसठ सालों में सीचा है और जिसका खाद पानी भारत की एक सौ पंद्रह करोड़ जनता की खून पसीने की

कमाई है जिसको टूजी, कोमन वेल्थ गेम्स या आदर्श समिति जैसे भयानक कीड़े निगल गए। यदि आज देश में किसी भी मजबूरीवश रिश्त देने वालों की सूची बनायी जाए तो सारे भारत की मतदाता सूची ही इसमें लग जायेगी। यदि देश का प्रधानमंत्री आज अपने ही देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके पोषक तत्वों से अनजान है, तो उससे अधिक शर्मनाक बात और क्या होगी। अब हालत ये है कि यदि वास्तव में भ्रष्टाचार अपने देश से मिटाना है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है तो सारा सरकारी तंत्र और केन्द्र तथा राज्य सरकार मंत्रीमंडल पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा, जो अब असंभव है इसलिए भ्रष्टाचार का मिटना भी असंभव है। परन्तु ना उम्मीद होने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भगवद गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और पापाचार बढ़ जाता है तब तब भगवान का अवतार होता है। देखना ये है की कब होता है?

mRrj & भ्रष्टाचार भारत के आम लोगों का स्वभाव नहीं है बल्कि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था का परिणाम है। लोकतंत्र जीवन पद्धति में न आकर शासन पद्धति तक सीमित हो जाता है तब अव्यवस्था होना निश्चित है। पश्चिम के देशों ने न्यूनतम शासन प्रणाली का लोकतंत्र अपनाया और दक्षिण एशिया के देशों ने अधिकतम शासन पद्धति के लोकतंत्र को। यदि भारत में तानाशाही होती तब भी भ्रष्टाचार मिट सकता था और लोक स्वराज्य होता तब भी। भारत जिस लोकतंत्र पर चल रहा है उससे कोई अन्य परिणाम की कल्पना ही व्यर्थ है।

सरकार के पास भ्रष्टाचार रोकने की शक्ति सिर्फ दो प्रतिशत होती है। भारत में भ्रष्टाचार की उत्पत्ति बहुत अधिक है। इस उत्पत्ति का मूल है सरकार के कानून। जब हम जानते हैं कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है तो इस भ्रष्ट व्यवस्था को ही और ज्यादा कानून बना बना कर दायित्व सौंपने की क्या जरूरत है। भ्रष्टाचार से परेशान सारे लोग सम्पूर्ण शिक्षा सरकार को लेने की मांग क्यों कर रहे हैं? यही लोग सस्ता अनाज और सस्ता तेल सरकार द्वारा बेचने की आवाज भी उठा रहे हैं। सरकारीकरण और भ्रष्टाचार नियंत्रण लोकतंत्र में एक साथ चल ही नहीं सकते। यदि तम्बाकू और सिगरेट रोकने का काम पुलिस को सौंपा जाता है तो पुलिस भ्रष्ट है का हल्ला क्यों?

भ्रष्टाचार रोकने के लिये समाज व्यवस्था में सुरक्षा और न्याय छोड़कर अन्य सभी कार्य या तो निजीकरण कर दें या नीचे की इकाइयों को दें अथवा निगम बनाकर दें किन्तु सरकार के हाथ से निकाल लें। अठान्ने प्रतिशत भ्रष्टाचार खतम हो जायेगा। अनेक विभाग टूट जायेंगे। जो दो प्रतिशत तक बचेगा उसे हम दबोच लेंगे। जिस देश में देह बेचने पर भी कानून हो और शरीर बेचकर गुजारा करने वाली वैश्याओं को भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता हो वहाँ चिन्ता का विषय तो है ही। इसलिये आपका यह निष्कर्ष गलत है कि सार्थक कानून और नीतियों का अभाव है सच बात यह है कि निरर्थक कानून और नीतियों की बहुलता है जिसे कम किये बिना भ्रष्टाचार नहीं घट सकता।

आपने श्रीनगर में तिरंगा फहराने की वकालत की है। मैं नहीं समझता कि आप जैसे जिम्मेदार लोग भी ऐसे ऐसे राजनैतिक नाटकों की हवा में बह जायेंगे। अभी तीन चार माह पूर्व ही तो श्रीनगर में आग लगी हुई थी। उस समय किस बिल में घुसे हुए थे झंडा फहराने वाले। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। जाना चाहिये था उमर अब्दुल्ला की मदद करने। चूतड़ पर ताल देना और ढोलक पर ताल देने में आसमान जमीन का फर्क होता है। उस समय तो घर बैठे आवाज लगा रहे थे कि कश्मीर संकट में है। इन्हें क्या पता कि कश्मीर को शान्त करने में किस किस को क्या क्या करना पड़ा है। कश्मीर तो दूर है, जाने में परेशानी होगी। अनेक प्रकार की धाराएँ और समझौतों के अन्तर्गत है। यदि झंडा ही फहराने का इतना शौक है तो दंतेवाड़ा क्षेत्र के नक्सलवादी क्षेत्र में ही क्यों नहीं चले जाते। भाजपा की सरकार है। कोई अन्तर्राष्ट्रीय बाधा नहीं है। दंतेवाड़ा आपको नजदीक में नहीं दिख रहा किन्तु दूर का कश्मीर और उसका श्री नगर दिख रहा है। मेरा सुझाव है कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं। खिलवाड़ करने से कहीं गंभीर क्षति भी हो सकती है। दस वर्ष पूर्व मुरली मनोहर जोशी ने भी वहाँ झण्डा फहराने का आंदोलन किया था। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी और चली। कश्मीर समस्या कितनी सुलझ गई थी? क्या बदल गया जोशी के झंडा फहराने से? न श्यामाप्रसाद मुखर्जी के अदूरदर्शी बलिदान

से कुछ बदला न जोशी जी के झंडा फहराने से बदला और न अब फहराने से बदलने वाला है। कुछ बदलेगा तो मिल जुल कर समाधान निकालने से।

मुझे याद है कि श्राइन बोर्ड के विरुद्ध कश्मीर में हुए आंदोलन के विरुद्ध सम्पूर्ण भारत के जनमत में जो उबाल आया था उसने कट्टरपंथियों की कमर तोड़ दी थी। पूरा भारत एक स्वर में बोलने लगा था। कश्मीर में जिहादी तो मरने मारने को तैयार हैं। वे तो मरने मारने को तैयार है और आप झंडा फहराने का नाटक करने का उपक्रम कर रहे हैं। आपका झंडा तो फहरेगा ही किन्तु उसकी बहुत कीमत भी अदा करनी होगी। इसलिये भावनाओं को भड़काने की सीमा समझिये।

06-j puk j Lrksxh]ej BAbesy l &v kf [kj ce foLQkMka dk ftEenkj dks\

जब भी देश में कहीं भी कोई भी आतंकी घटना या बम विस्फोट आदि की घटना हो जाती है, तो सारा का सारा प्रशासनिक अमला और मीडिया भी केवल एक विशेष सम्प्रदाय के कुछ संगठनों की ओर मुड़ जाता है। जब आपको पता है कि अमुक संगठन अपराध से जुड़े है तो क्यों नहीं उन पर बारीक नजर रखी और दूसरे शब्दों में साफ साफ यह भी कहना बिलकुल ठीक है कि क्यों नहीं स्थानीय पुलिस या सुरक्षा बालों को जिम्मेदार ठहराया जाय। आखिर पुलिस और सुरक्षा बालों की लापरवाही ही इन घटनाओं में सामान्य निर्दोष जनों की मृत्यु का कारण बनी। क्यों नहीं प्रदेश के प्रशासनिक आला अधिकारियों पर लापरवाही का मुकदमा चलाया जाता। आपके शहर या गाँव में आतंकी घूम रहे हैं और आपको पता ही नहीं, वे कहीं भी बम रख देते हैं आपको हवा तक नहीं। मजाल है कि चौराहे पर से कोई ट्रक बिना पैसे दिए गुजर जाय तो पुलिस वाले दौड़कर उसको पकड़ लेते हैं मार पीटकर उससे पैसा वसूल लेते हैं। मजाल है कि सेल्स टेक्स चुंगी से कोई सामान बिना सुविधा शुल्क दिए निकल जाय। चौराहे और चुंगी पर तो पुलिस कर्मी अवैध कमाई के लिए बहुत चौकस है, परन्तु देश सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों? क्या पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बालों को वेतन और अन्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिलती, क्या किसी दुर्घटना में असमय मृत्यु पर इनके परिवारजनों को उचित मुआवजा, समय पर नहीं मिलता, तो क्या वेतन भत्ते व सुविधा प्राप्त करना ही इनकी प्राथमिकता है।

mRrj& आपकी जानकारी अधूरी है। पुलिस विभाग और न्यायालय ओवर लोडेड हैं। इन्हें अपराध रोकने के साथ साथ शराब, गांजा, दहेज, वैश्ववृत्ति हरिजन महिला उत्पीड़न आदि हजारों कामों के साथ साथ चोरी डकैती बलात्कार, हत्या, आतंकवाद रोकना हैं। इनकी संख्या भी आबादी अनुसार नहीं बढ़ती। जितने पोस्ट हैं उनमें भी कई खाली हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान, आदिवासी उत्थान के बाद जब बजट बचेगा तभी तो जूठन इन विभागों को मिलेगी। भारत के सम्पूर्ण बजट का पुलिस और न्यायालय को मिलाकर सिर्फ दो प्रतिशत ही खर्च होता है और उसमें भी पुलिस तथा न्यायालय पर बेकार के कामों का इतना बोझ। कानून ऐसे हैं कि अवैध बन्दूक पिस्तौल साधारण अपराध और अवैध अफीम गांजा गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिये गये हैं।

पुलिस वालों को भी नौकरी पाने के लिये घूस देनी पड़ती है और नौकरी पाने के बाद भी देनी ही है। उपर वाले तो अदृश्य रहते हैं किन्तु आप सबकी गालियाँ तो इन नीचे वालों को ही खानी है। यही कारण है कि ये पुलिस वाले अन्य अपराध छोड़कर गांजा अफीम दहेज आदि की ओर ज्यादा दौड़ते हैं जहाँ खतरे कम और लाभ ज्यादा की गुंजाइश हो। मैंने इस संबंध में कई बार लेख लिखे पर कोई इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाता। यदि आप असहमत हो तो इस चर्चा को अवश्य आगे लाइये।

आपने पूछा है कि विस्फोटों के लिये जिम्मेदार कौन? मेरे विचार में विस्फोटों के लिये पचास प्रतिशत जिम्मेदारी राजनैतिक व्यवस्था की है जिसमें भारत को पश्चिम देशों की नकल करते हुए जनकल्याणकारी राज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित की जबकि सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च होना था। पचीस प्रतिशत जिम्मेवारी संसद या विधान सभाओं की है जिसने पुलिस विभाग पर भी अनावश्यक बोझ डाल दिया। पंद्रह प्रतिशत व्यवस्था में फौले भ्रष्टाचार की है और शेष दस प्रतिशत उस पुलिस वाले की है

जो इस व्यवस्था के साथ सहयोग करने लगा। वह चाहता तो दस प्रतिशत समस्याएँ रोक सकता था किन्तु उसने भी घुटने टेक दिये। हम जिम्मेदारी के कारणों का बटवारा न करके सारा दोष पुलिस के सिपाही पर डालते हैं जो ठीक नहीं।

07- Jh jkgv egrk]v/; {k jkbV Vw fjdKy i kVh] xqt jkr

I eh{kk& आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो प्रशंसा की है वह समीक्षा न होकर एक पक्षीय प्रशंसा है। मनमोहन सिंह जी जिस तरह विश्वस्तरीय सम्मान पाने के प्रयत्नों में भ्रष्टाचार की अनदेखी करते रहे हैं वह कोई सामान्य घटना नहीं है। सभी फाइल मुख्य सचिव के पास से होकर जाती है तथा उसमें प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। यदि प्रधानमंत्री चाहते तो फाइल को रोक सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा न करके न केवल भूल की है बल्कि गलत भी किया है। आपका यह कहना गलत है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ज्यादा उजागर हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार उजागर करने का श्रेय मनमोहन सिंह जी को न जाकर मीडिया को जाता है।

राइट टू रिकाल के लिये एक सिस्टम बनाने की जरूरत है जो मैंने बनाया है। आप उस पर विचार दें। पश्चिम के देशों में तो कई जगह न्यायाधीश भी इस सिस्टम से हटा दिये जाते हैं। आपके विचार मिलने के बाद और मंथन होगा।

mRrj& मैंने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहनसिंह जी के कार्यकाल की समीक्षा न करके एक पक्षीय प्रशंसा की है क्योंकि पिछले साठ वर्षों के अनुभव के बाद मैंने पाया है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री पर कोई दाग नहीं लगा और विशेष बात यह है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने व्यवस्था में बदलाव की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया किसी के इशारे पर मनमोहन सिंह को टारगेट कर रहा है अन्यथा कोई कारण नहीं कि जो टू जी स्पेक्ट्रम फाइल मनमोहनसिंह के पूर्व अटल जी के कार्यकाल में भी इसी तरह बढ़ी थी जिस तरह अब, उस फाइल के बढ़ने के कारण नहीं खोजे जा रहे। सर्वविदित है कि उस समय पहली बार भ्रष्टाचार के दरवाजे अटल जी के कार्यकाल में खोले गये थे जिस दरवाजे से वर्तमान सरकार के मंत्री भी निकलते रहे और मनमोहन सिंह जी ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। क्या इस प्रकार की आलोचना में एक पक्षीय होने की गंध आपको नहीं आती। मैं मनमोहनसिंह को कोई आदर्श नहीं कह रहा। मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूँ कि अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबमें ये ठीक हैं। यदि कोई और अच्छा दिखेगा तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं किन्तु वर्तमान स्थितियों में मनमोहनसिंह की आलोचना के पीछे किसी मजबूत ताकत का हाथ संभव है। वह मजबूत ताकत कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी हो सकती है और बाहर से भी। साम्यवादी ताकतों में तो इतना दम नहीं है। अमेरिका इस योजना में हो नहीं सकता। संभव है कि आगे कुछ बात खुले। सब जानते हैं कि राजा मनमोहन सिंह की पसंद से मंत्री नहीं बने थे बल्कि कांग्रेस पार्टी में ही राजा को मनमोहन सिंह पर थोपा गया था।

जिस तरह विनायक सेन जैसे नक्सलवादी के पक्ष में योजनाबद्ध अभियान चला उसके पीछे भी कोई ताकत काम कर रही है। एक तरफ तो आजाद मुठभेड़ में न्यायालय और संविधान की दुहाई देना तो दूसरी ओर विनायक सेन प्रकरण में संविधान और न्यायालय की धज्जियां उड़ाना एक ही समय में, एक साथ, एक ही मीडिया द्वारा चौकाने वाली घटना है। हम कई बार पूर्व में भी ऐसे षडयंत्रों के शिकार हो चुके हैं। कभी शराब लावी ने गुप्त सक्रियता दिखाई तो कभी किसी और ने। अब पुराने इतिहास से सबक लेना चाहिये।

कौन नहीं जानता कि मनमोहन सिंह न देश के न मालिक हैं न तानाशाह। वे एक प्रधानमंत्री मात्र है। और स्वयं को उतना ही मानते हैं। इनके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए वे स्वयं को प्रधानमंत्री से उपर मानते भी थे और थे भी। अब व्यवस्था बदल रही है और अब पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना ठीक नहीं है।

मैं मानता हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने एक साथ ही अनेक फ्रंट खोल लिये। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और उसके पीछे छिपी नीयत की प्रतीक्षा करनी थी। लालू मुलायम मायावती में से कुछ को कुछ समय तक फुसलाकर रखना था और यदि यह संभव नहीं था तो न्यायपालिका के खिलाफ

टिप्पणी अभी और छः माह रुक कर करनी थी। अब सब लोग एक होकर घेरने की कोशिश में है। देखिये आगे क्या होता है।

आपने राइट टू रिकाल के सिस्टम की चर्चा की है। मैं उस सिस्टम पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। पहले हमें राइट टू रिकाल के विरोधियों को परास्त करना है। सिस्टम पर चर्चा हम आपस में बैठ कर करेंगे न कि सार्वजनिक क्योंकि विरोधी शक्तियाँ सिस्टम पर बहस बढ़ाकर मीन मेख निकालेंगी और हमारी लड़ाई भटक जायेगी। राइट टू रिकाल कोई ऐसा विषय नहीं जो यदि सरकार मान ले तो सिस्टम न बन सके। मैं अप्रैल मई में आपसे मिलूंगा तब इस पर प्रत्यक्ष चर्चा हो सकती है।

मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि अधिक भ्रष्ट लोगों द्वारा कम भ्रष्ट लोगों को बदनाम करने की योजना षडयंत्र का भाग है जिसे सफल नहीं होना चाहिये।

08-Jh v: .k dekj f=i kBh }kjk tul Rrk nřud l =g tuojh nks gtkj

X; kjg

fopkj & पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी की सरकार हैं। लालगढ के नेताई गांव में मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने गांव के लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण लेने और पहरा करने का आदेश दिया और जिन लोगों ने इन्कार किया उनमें से कई लोगों की हत्या कर दी। यहाँ तक कि एक ही परिवार के युधिष्ठिर डोलाई की हत्या उसी के भतीजे ने कर दी। स्वाभाविक ही है कि चाचा युधिष्ठिर तृणमूल का सदस्य था और भतीजा माकपा का। माकपा जिस तरह हिंसा का तांडव कर रही है वह बेहद चिन्ता का विषय है।

नक्सलवादी भी हिंसक ही हैं किन्तु वे लोकतंत्र का ढोंग तो नहीं करते। माकपा एक तरफ तो लोकतंत्र की रट लगाती है तो दूसरी तरफ हथियार भी उठवाती है। यह तो उसका दुहरा चरित्र हैं एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने विरोध करने के लिये चौबीस दिनों का लम्बा उपवास किया तो दूसरी ओर माकपा के नेता हैं जो नाम तो मार्क्स का लेते हैं किन्तु मार्ग तेंग श्याओं पिंग की उदारीकरण की नीति का है। ये लोग पूंजीपतियों के संयंत्र लगवाने के लिये अपने काडर से हथियार उठवा रहे हैं। पता नहीं यह कौन सा मार्क्सवाद लेनिनवाद है कि भले ही हथियार उठा लो किन्तु प्रतिद्वंदी से बात मत करो।

बंगाल में दो दशक तक निरंकुश शासन करने वाली माकपा बौखलाकर हिंसा पर उतर आई है यह सम्पूर्ण भारत के लिये चिन्ता की बात है।

mRrj & भारत में तीन संगठन हिंसा का समर्थन करते रहे हैं जिनकी विचारधारा से प्रभावित कुछ अतिवादी कार्यकर्ता हिंसा के समर्थन से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष हिंसा में संलग्न हो गये। ये तीन संगठन हैं साम्यवादी, इस्लाम और संघ परिवार। तीनों ने हिंसा के समर्थन का भरपूर लाभ उठाया। इस्लाम तो पूरे विश्व में छाया ही हुआ है और साम्यवाद भी अभी अभी ही असफल हुआ है अन्यथा उसकी भी विश्व विजय की गति कम नहीं थी। संघ परिवार भारत तक ही सीमित था किन्तु भारत में भी सफलता की उसकी गति कम नहीं रही। जैसा कि हिंसा का प्राकृतिक परिणाम होता है उस अनुसार तीनों के ही अतिवादी रूप सिमी, नक्सलवाद और अभिनव भारत के रूप में सामने आये। हिन्दू आमतौर पर शान्तिप्रिय होता है इसलिये संघ परिवार की मजबूरी है कि वह खुलकर आतंकवाद का समर्थन न कर सके। गांधी हत्या के समय की गई संघ की भूल आजतक उसे नुकसान कर रही है। प्रारंभ में तो संघ परिवार ने वहीं भूल दुहराने की कोशिश की किन्तु शीघ्र ही उसे गलती का आभास हुआ और उसने असीमानन्द से पिण्ड छुड़ाना शुरू कर दिया। अब संघ तो भालू को छोड़ रहा है किन्तु भालू छोड़े तब न। निश्चित रूप से संघ को कुछ न कुछ नुकसान उठाना ही होगा। मैंने तीन चार वर्ष पूर्व ही संघ के मित्रों को कई बार समझाया था किन्तु उस समय तो इन्हें भालू कम्बल ही दिख रहा था। उल्टे मुझे ही लिखने पर डांट पिलाते रहते थे। अब पिण्ड छुड़ाते नहीं बन रहा है।

मुसलमान इस मामले में ज्यादा ढीठ होते हैं। वे तो आतंकवादियों का खुला समर्थन तक करते हैं। इन्हें कांग्रेस पार्टी का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा। ये संघ का विरोध करते करते कांग्रेस की परिभाषा में धर्म निरपेक्ष तक हो गये। अब विश्व बिरादरी में बदनाम होने के बाद वे भारत में भी कुछ सोचना शुरू कर रहे हैं यद्यपि अभी कोई खास प्रगति नहीं है। साम्यवाद बड़ी बेशर्मी से नक्सलवाद का समर्थन करता रहा।

बंगाल सहित पूरे भारत के कम्युनिस्ट हर मोर्चे पर नक्सलवादियों के समर्थन में तब तक खड़े रहे जब तक बंगाल में इन्हें अपने ही विरुद्ध खतरा नहीं दिखा। वैसे अब भी बंगाल से बाहर के कम्युनिस्ट तो दुविधा में ही पड़े हैं। उनकी आदत तो नक्सलवाद समर्थन की है और पार्टी निर्देश विरोध का है। बेचारों की गति सांप छुछुंदर की हो गई है।

ताकत के बल पर सत्ता में आकर जब तानाशाही शासन चलता है तो वहाँ सुव्यवस्था होती ही है। बंगाल में साम्यवादियों ने अराजकता को गुलामी में बदल लिया। वहाँ भ्रष्टाचार, अपराध, सब खतम हुए। दल और सरकार के बीच का फर्क खतम हुआ। एक क्षत्र राज्य चला। हिंसा घटकर नगण्य हो गई। ममता दीदी ने गुलामी को चुनौती दी। टकराव हुए और ममता दीदी ने हिंसा का मुकाबला हिंसा से किया। ममता के लोग बड़ी संख्या में मरे किन्तु ममता ने हार नहीं मानी। जब ममता कमजोर पड़ने लगी तो उसने नक्सलवाद से समझौता कर लिया। मार्क्सवादी हिंसा के मुकाबले ममता के पास कोई मार्ग नहीं था क्योंकि माकपा का केन्द्र सरकार से समझौता था। एकाएक माकपा का केन्द्र से समझौता टूटा और ममता ने तुरन्त लपक लिया। अब बंगाल के मार्क्सवादी बेसहारा हो गये। कांग्रेस सरकार का समर्थन भी गया और नक्सलवादी भी बन्दूक लेकर सामने खड़े हो गये। मुकाबला बराबरी का शुरू हुआ। माकपा जब कमजोर पड़ने लगी तब उसने स्वयं बन्दूक उठाई। लालगढ़ पर ममता और नक्सलवादियों का पूरा पूरा नियंत्रण हो चुका था। माकपा की मजबूरी थी कि वह सुरक्षा के नाम पर पुनः सक्रिय हो। यदि माकपा चुप रहती तो उस क्षेत्र से उसकी हार हो जाती। उसने आक्रमण किया और जो मुकाबले में आया वह मारा गया।

अब अरुण कुमार त्रिपाठी जी इस टकराव से अनावश्यक चिन्तित क्यों हैं? राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी दोनों ओर से सशस्त्र हैं और हिंसक हैं। आपस में मर कट रहे हैं तो आप काहे को आंसू बहा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो मर नहीं रहा जो तटस्थ हो। मेरा तो पहले भी मानना था और अब भी मानना है कि सिमी, अभिनव भारत, नक्सलवादी और उनके समर्थक कट्टरवादी मुसलमान, संघ परिवार, साम्यवादी लोग आपस में कटे मरें तो आपको क्या मतलब? मैंने ऐसे नाटक बहुत देखे हैं। अनेक सर्वोदयी मेरे मित्र हैं। उनकी आम तौर पर संघ विरोधी हिंसक गुट से सहानुभूति रहती है। जब तक संघ विरोधी लोग भारी रहते हैं तब तक तो हर सर्वोदयी चुप रहता है किन्तु जब दूसरा पक्ष भारी पड़ता है तब हर सर्वोदयी अहिंसा अहिंसा रटने लगता है। कहीं आप भी तो वैसे ही पक्षकार नहीं। आपकी भाषा से तो लगता है कि आप तृण मूल समर्थक दिखते हैं। जब नक्सलवादियों ने हत्याएँ की तब तो आपको न लोकतंत्र याद आया न अहिंसा। अब माकपा वालों ने मारा तो आपको सब कुछ याद आने लगा।

आपने घोषित हिंसक की अपेक्षा अघोषित हिंसक को ज्यादा बुरा माना है। लगता है कि आप वकालत भी पढ़ेंगे तभी तो ऐसे तरीके से अपने पक्ष की वकालत कर रहे हैं। नक्सलवादी घोषित हिंसक है तो ठीक और माकपा वाले अघोषित हैं तो गलत। मुझे ये तर्क अनावश्यक लगते हैं।

आपने माकपा की आलोचना करते करते तेंग चाओं पिंग को भी लपेट लिया। इससे आपके विषय में आभास होता है कि आप नक्सलवादियों की प्रचार प्रसार शाखा से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि तृणमूल वाले इतना आगे नहीं जाते। खैर आप चाहे जो हों उससे हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि यदि आप किसी हिंसक पक्ष के वकील हों तो आपकी चिन्ता से समाज को कोई मतलब नहीं और यदि आप निष्पक्ष चिन्तक हैं तो आप हिंसा समर्थक पेशेवर घोषित लोगों को मरने कटने दीजियें। बंगाल में कौन जीतता है और कौन हारता है उससे कोई न तो लोकतंत्र को ताकत मिलने वाली है न अहिंसा को। अतः मैदान के बाहर रहकर उस दिन की प्रतीक्षा या प्रयत्न करिये कि कोई तीसरा गुट मजबूत हो।

mRrjk/kz

सम्पूर्ण भारत में राजनीति व्यवसाय बन गई है जिसमें सभी दल अपने अपने ब्रान्ड का गुणगान कर रहे हैं। माल की गुणवत्ता का गुणगान से कोई संबंध न रखकर ग्राहक के आकर्षण पर ही ध्यान केन्द्रित है। सामाजिक संस्थाएँ भी अपने अपने बोर्ड लगाकर ऐसी राजनैतिक दुकानों का विज्ञापन करने में लगी हुई हैं। विज्ञापन के नये नये तरीके खोजे जा रहे हैं। धार्मिक समूह दो भागों में बंटे हुए हैं एक भाग तो इन्हीं राजनैतिक दुकानों से जुड़ा हुआ है तो दूसरा इस समस्या का समाधान असंभव बताकर भगवान

भरोसे रहने की बात कह रहा है "जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये"। सभी गुट प्रचार माध्यमों के महत्व को समझ कर उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं।

ऐसे समय में ज्ञान यज्ञ परिवार ने एक ऐसी दुकान खोली है जो अपना कोई ब्रान्ड न बेचेगा न प्रचारित करेगा। ज्ञान यज्ञ परिवार प्रत्येक ग्राहक की बाजार में बिक रहे ब्रान्डों के पहचान की क्षमता विकसित करेगा तथा प्रत्येक ब्रान्ड के गुण अवगुण की व्याख्या मात्र करेगा। आप किस दुकान से क्या माल खरीदते हैं और कितने में खरीदते हैं यह ज्ञान यज्ञ परिवार की चिन्ता का विषय नहीं। आपका विवेक जगे और यदि परिवार के सदस्य है तो आप किसी भी रूप में ठगे न जावें तथा आप किसी भी परिस्थिति में निराश न हों, मात्र यही परिवार की गारंटी है।

इस दुकान से सामान खरीदने का मूल्य भी स्वैच्छिक है। हमारा लागत खर्च एक सौ रूपया प्रति ग्राहक प्रति वर्ष आता है किन्तु यह मूल्य भी देना अनिवार्य नहीं। आप पूर्व में भी दे सकते हैं और लाभ होने के बाद भी। आप कम भी दे सकते है और ज्यादा भी। यह कोई माल बेचने वाली दुकान नहीं है यह तो एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे जुड़ने वाला न कभी जीवन में ठगा जाय और न ही कभी निराश हो। मात्र यही ग्राहक की संतुष्टि परिवार का उद्देश्य है।

इस दुकान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका सामान खरीदने के लिये आपको दुकान पर आने की भी जरूरत नहीं। सामान ज्ञान तत्व के रूप में हर पंद्रह दिनों में आपके घर पहुँच जायगा। आप अपने स्थानीय ज्ञान यज्ञ परिवार प्रमुख को अपना नाम पता नोट करा दीजिये अथवा सीधे नीचे लिखे पते पर चिट्ठी या फोन द्वारा सूचना भेज दीजिये। यदि आप उच्च तकनीक प्रयोग करते हों तो काश इन्डिया पौपदकपणववउ पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं तथा इमेल से पत्र व्यवहार इंरतंदहणउनदप/हउंपसणववउ पर कर सकते हैं।

डाक का पता

बजरंगमुनि

बनारस चौक

अंबिकापुर,सरगुजा,छत्तीसगढ़

497001

फोन -07774 230640,09617079344

सम्मेलन विवरण

ज्ञान यज्ञ परिवार के एक सप्ताह के सम्मेलन का स्वरूप शिविर सरीखा था। मुनि जी का संदेश स्पष्ट था कि परिवार के सदस्य को अपनी क्षमता अनुसार सक्रिय होना चाहिये। यदि किसी सदस्य की बहुत अधिक क्षमता हो तभी ग्राम सभा सशक्तिकरण में लगे क्योंकि यह काम कठिन है। किन्तु इस कार्य का समर्थन कठिन नहीं। जो लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है किन्तु बौद्धिक क्षमता है वे विचार मंथन में सक्रिय हो सकते हैं। जो यह भी नहीं कर सकते वे यदि सक्षम हों तो आर्थिक सहायता कर सकते हैं। जो कुछ नहीं कर सकें वे ज्ञान तत्व के विस्तार में लग सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि सर्व धर्मान, परित्यज्य, मामेकं शरणम् ब्रज। इसके अनुसार आप यदि और कुछ नहीं कर पाते तो आंख मूंद कर ज्ञान यज्ञ परिवार के विस्तार में जुड़ जाइये। वर्तमान संकट काल में बजरंग मुनि जी विश्व में सर्वाधिक सुलझे हुए विचारवान व्यक्ति हैं। इनकी बात सुनने समझने से निश्चित लाभ होगा। अतः सम्पूर्ण भारत में ज्ञान यज्ञ परिवार की शाखाएँ खुलनी चाहिये। प्रत्येक शाखा ज्ञान तत्व पाक्षिक का अधिक से अधिक विस्तार करें। वर्तमान सामाजिक वातावरण की आलोचना मात्र पर्याप्त नहीं, समाधान चाहिये। समाधान वर्तमान समय में किसी के पास नहीं है। सब अंधेरे में टटोल रहे हैं। मुनि जी द्वारा बताया मार्ग समाधान दे सकता है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि ज्ञान यज्ञ परिवार का प्रत्येक सदस्य ज्ञान तत्व विस्तार के कार्य में पूरी तरह जुट जावे।

ckgj | s vkus okys i | s dk foobj .k%&

20. श्री राम फेरन शास्त्री ,जंगीगंज ,भदोही,उ0प्र0

100/-

21.	श्री शरद चंद्र मिश्र, द्वारा पारसनाथ मिश्र , जंगीगंज,भदोही,उ०प्र०	100 /—
22.	श्री विजय नाथ आर्य,जंगीगंज,भदोही,उ०प्र०	100 /—
23.	श्री राम राज आर्य, जंगीगंज,भदोही,उ०प्र०	100 /—
24.	श्री मुन्नी बाई कथर, अनुपपुर,म०प्र०	500 /—
25.	श्री डॉ० ओ०पी० सूत्रकार,कार्तिकेय हाउस, छत्तरपुर,म०प्र०	500 /—
26.	श्री परमलाल जी अग्रवाल,छत्तरपुर,म०प्र०	500 /—
27.	श्री जयप्रकाश खरे,छत्तरपुर,म०प्र०	500 /—
28.	श्री बी०पी०खरे,नजरबाग,छत्तरपुर,म०प्र०	500 /—
29.	श्री आर०सी०अग्रवाल,नजरबाग,छत्तरपुर,म०प्र०	100 /—
30.	श्री कमल अग्रवाल, सागर रोड़,छत्तरपुर,म०प्र०	100 /—
31.	श्री प्रताप सिंह सेंडार कलम रोड़, छत्तरपुर,म०प्र०	100 /—
32.	श्री हरिश चंद्र अवस्थी, छत्तरपुर,म०प्र०	100 /—
33.	श्री हरीराम अवस्थी,छत्तरपुर,म०प्र०	100 /—
34.	श्री अशोक कुमार मिश्रा, छत्तरपुर,म०प्र०	100 /—
35.	श्री रामभूषण सिंह, फतेहपुर,उ०प्र०	1000 /—
36.	श्री वैधराज आहुजा,कांकेर,छ०ग०	3000 /—
37.	श्री राजेन्द्र सिंह, गाजियाबाद,उ०प्र०	2000 /—
38.	श्री कृष्ण लाल रूंगटा, धनबाद, झारखण्ड	2500 /—
39.	श्री रामकृष्ण पौराणिक ,गोपालगंज,सागर,म०प्र०	50 /—
40.	श्री रिषभ जागरूक,जयपुर,राजस्थान	100 /—
41.	श्री एस०एन० व्यास,17 डी०यू०पी०,एम०एच०ओ०डब्ल्यू० रोड़,रतलाम,म०प्र०	100 /—
42.	श्री जी०एन० कटगेरी कर्नाटक	1000 /—

#####

विशेष निवेदन

सम्मेलन में निश्चय हुआ कि ज्ञान तत्व के पाठक तत्काल 10000 होना चाहिये जो अभी चार हजार है। यह कार्य कठिन नहीं है। यदि 4000 में से आधे पाठक भी गंभीर मान ले और सब लोग 10 –10 नये नाम भी भेज दें तो संख्या 20000 तक हो सकती है। ये नये पाठक सशुल्क भी हो सकते है या निःशुल्क भी। आपसे विशेष निवेदन है कि आप जिम्मेदार पाठक के रूप में 10 नये नाम भले ही निःशुल्क ही हों भेजने की कृपा करेंगे। हमारे कार्यकारिणी सदस्यों से भी निवेदन है कि यदि उनके भेजे गये नाम सौ से कम हों तो वे और नाम भेंजे जिससे पाठक संख्या 20000 तक शीघ्र बढ़ाई जा सके।

#####

